रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1973/पौष 29, 1894

No. 27] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1973/PAUSA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 19th January 1973

S.O. 36(E)/18FB/IDRA/73.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 608(E)/18A/IDRA/72, dated the 18th September, 1972, the management of the industrial undertaking known as the Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years up to and inclusive of the 17th September, 1977;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, rubber goods industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights privileges obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F. 25/5/72-C.U.C.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

का० आ० 36(अ)/18एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/73—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 608 (ई)/18ए/आई० डी० आर० ए०/72, तारीख 18 सितम्बर, 1972 द्वारा इण्डियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन 17 सितम्बर, 1977 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए, ग्रहण कर लिया गया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबन्ध में, अनुसूचित उद्योग, अर्थात रबर माल उद्योग, में उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से, जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं।) प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

[सं० फा० 25/5/72-सी० यू० सी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973